समक्ष:— न्यायलय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

(34)

विजयशंकर आत्मज अवध शरण दुबे
निवासी--- ग्राम घोरवई तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0
.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1— श्रीमति कृष्णा बाई पुत्री अवध शरण दुबे
निवासी-- हरनामपुर मैहर जिला सतना म0प्र0
2— श्रीमति मीरा बाई पुत्री अवध शरण दुबे
निवासी— ग्राम करूआ तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0
.....उत्तरवादीगण

याचिका (आवेदन) धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959।

1— यह कि याचिकाकर्ता श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय विजयराघवगढ़ जिला कटनी म0प्र0 अपील रा0प्र0कं0—372/अ6अ/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 07/09/2016 से सुब्ध होकर याचिका प्रस्तुत है।

2— यह कि याचिकाकर्ता की भूमि ग्राम जमुवानीखुर्द ना0बा0 51 प0ह0नं0 17 में स्थित भूमि ख0न0 212/2, 238/1, 239/5, 239/9, 246/1 , 2246/7 रकवा क्रमशः 0.37 हे0, 0.48 हे0, 0.90 हे0, 0.50हे0, 1.60हे0, 0.25 हे0, का भूमि स्वामी है।

3— यह कि उत्तरवादी कं0 1 द्वारा क्ष0प्र0कं0— 273 अ6अ/2010/2011 में पारित आदेश दिनांक 22/09/2010—11 की अपील प्रस्तुत किया है।

4— यह कि उत्तरवादी कं0 1 द्वारा सत्य प्रतिलिपि रा0प्र0कं0—372/अ6अ/2010—11 की अपील प्रस्तुत किया है। जिसमे सभी पक्षकारो कों पक्षकार नही बनाया है। जो पक्षकारो का कुसंयोजन है। तथा सत्य प्रतिलिपि अपील के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

5— यह कि अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया था। जिसमें आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया के तहत अपील प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी भूमि स्थाई जमुवानीखुर्द संसोधन कं0 1 आदेश दिनांक 16/04/2010 मे याचिकाकर्ता का भूमि स्वामी हक में नाम दर्ज हुआ है। जिसकी अपील प्रस्तुत नही है। आपत्ति का निराकरण माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय वि0गढ़ जिला कटनी म0प्र0 के द्वारा आपत्ति का निराकरण न करते हुए दिनांक 07/09/2016 को आदेश अलोचन पारित किया जिससे सुब्ध होकर याचिका प्रस्तुत हैं।

6— यह कि याचिकाकर्ता ग्राम जमुवानीखुर्द संसोधन कं0 1 आदेश दिनांक 16/04/2010 में याचिका नाम दर्ज हुआ था। जिसकी अपील प्रस्तुत नही हुई है। ना ही आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता की सुनवाई नही की है। याचिकाकर्ता वाद का बाहुलता लाकर परेशान किया जा रहा है।

//प्रार्थना//

अतः श्रीमान से प्रार्थना है। कि ग्राम जमुवानीखुर्द संसोधन कं0 1 पर समुचित जॉच करते हुए प्रस्तुत बदर की अपील से याचिका नाम विलोपित कर आदेश दिनांक 07/09/2016 को निरस्त करने की कृपा हों।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3117–दो/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र0क0 32/अ–6–अ/2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक की अपील को अग्राह्य किये जाने संबंधी आपत्ति को निरस्त किया गया है । 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को अपील को पक्षकारों के कुंसयोजन के दोष के कारण निरस्त करना चाहिए था । 3/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताया गया तथा कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है अतः निगरानी निरस्त की जाये । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचारण न्यायालय का प्रकरण बदर दुरस्ती के संबंध में है और विचारण न्यायालय द्वारा खसरा पांचसाला, किस्तबंदी, मिसल अभिलेख का मिलान कम्प्यूटर अभिलेख से करने पर 62 त्रुटियां पाई गईं जो विभिन्न भूमिस्वामियों के थे । उन्होंने प्रकरण दर्ज कर बदर सूची का प्रकाश कर आपत्ति आमंत्रित कर आदेश पारित किया है । विचारण न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है । उक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने अपील के साथ विलंब माफी के आवेदन के अभाव में एवं पक्षकारों के कुसंयोजन के दोष के आधार पर अपील को अग्राह्य किया जाना उचित नहीं मानने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित एवं न्यायिक है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । प्रशा0 सदस्य	